संचिका संख्या–7/विविध–28–13/2021..........14 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,पटना।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनांक–14/01/2026

विषय:– **100 शैय्या के अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़, पटना के भवन निर्माण एवं अन्य सुसंगत आनुषंगिक कार्यों हेतु, वित्तीय वर्ष 2021–22 में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन के आधार पर रु० 24,70,72,000/– (रुपये चौबीस करोड़ सत्तर लाख बहत्तर हजार) मात्र की स्वीकृत योजना के अधीन पुनरीक्षण के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2025–26 में पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि कुल रू० 29,42,86,863/–मात्र की पुनरीक्षित स्वीकृति एवं अन्तर राशि रू० 4,72,14,863/–(रुपये चार करोड़ बहत्तर लाख चौदह हजार आठ सौ तिरसठ) मात्र की व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक–3586, दिनांक–07.08.2021 द्वारा 100 शैय्या के अनुमडलीय अस्पताल, बाढ़, पटना के भवन निर्माण एवं अन्य आनुषंगिक कार्यों, यथा Fire Fighting, Fire Alarm, Bed Lift, Solar Power Generation, MGPS, STP, MOT, HVAC, Furniture Supply इत्यादि हेतु, वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्राप्त तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन के आधार पर रु० 24,70,72,000/– (रुपये चौबीस करोड सत्तर लाख बहत्तर हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक एव व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सख्या–66(7), दिनाक–09.08.2021 द्वारा प्रदान की गयी थी।

2– पुन बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना के पत्राक–6235, दिनाक–03.09.2025 द्वारा 100 शैय्या के अनुमडलीय अस्पताल, बाढ, पटना के भवन निर्माण एवं अन्य सुसगत आनुषंगिक कार्यो हेतु रु० 24,70,72,000/– (रुपये चौबीस करोड सत्तर लाख बहत्तर हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के पुनरीक्षण के उपरान्त पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू० 29,42,86,863/–मात्र की पुनरीक्षित स्वीकृति एव अन्तर राशि रू० 4,72,14,863/–(रूपये चार करोड़ बहत्तर लाख चौदह हजार आठ सौ तिरसठ) मात्र की व्यय की स्वीकृति हेतु प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है।

3– उक्त परिप्रेक्ष्य मे 100 शैय्या के अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ, पटना के भवन निर्माण एवं अन्य सुसगत आनुषगिक कार्यो हेतु, वित्तीय वर्ष 2021–22 मे, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन के आधार पर रु० 24,70,72,000/– (रुपये चौबीस करोड सत्तर लाख बहत्तर हजार) मात्र की स्वीकृत योजना के अधीन पुनरीक्षण के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2025–26 में पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि कुल रू० 29,42,86,863/–मात्र की पुनरीक्षित स्वीकृति एवं अन्तर राशि रू० 4,72,14,863/–(रूपये चार करोड बहत्तर लाख चौदह हजार आठ सौ तिरसठ) मात्र की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– उक्त कार्य विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–66(7), दिनाक–09.08.2021 में निहित प्रावधानो/शर्तों एव वित्तीय प्रावधानों के अधीन बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा कराया जायेगा।

D:\Vijay\Rupayadesh\2025-26\Anu_Barh_Patna.doc

5– उक्त कार्य माँग संख्या–20 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0113–जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल, भवनों का निर्माण, जीर्णोद्धार, विपत्र कोड–20-4210011100113, विषय शीर्ष–(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID------------में जमाकर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

8– बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda)तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

9– राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007, 3758/वि०, दिनांक–31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनाक–03 12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

10– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी ।

11– प्रस्ताव एव प्रारूप मे सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्तहै।

12– प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या–7/विविध–28–13/2021 के पृष्ठ–10/टि0 मे प्राप्त है ।

13– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

14– सबधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

14.1.26.

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापाक–7/विविध–28–13/2021– 14 (7) /स्वा0, पटना, दिनाक–14/01/2026

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, अस्पताल रोड, शास्त्रीनगर, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, पटना प्रमडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय स्वास्थ्य मत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7 एव सबधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14.1.26.

सरकार के अपर सचिव ।